Form No. III

Qn\vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

श्रीमती कृष्णाबाई बनाम **भारत सरकार जरिये उप मुख्य अभियंता (निर्माण–IV) उत्तर पश्चिम रेलवे**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 20 (च) (6) रेलवे अधिनियम, 1989**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील (Railway)** नं0 **048** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार छोटीसादडी के पत्रांक/विविध/2024/112–113 दिनांक 18.10.2024 से अपीलार्थी का सूचना–पत्र बाद तामील प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली है। अपीलार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। प्रत्यर्थी की और से उनके अधिवक्ता **आशीष कुमार** हाजिर। हाजिर अधिवक्त प्रत्यर्थी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता अपीलार्थी **अंकित पालीवाल** हाजिर नहीं। अपीलार्थी की आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व अपीलार्थी की आवाज लगवाई गई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं आने से प्रार्थी/अपीलार्थी के भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के प्रकरण संख्या 148/2024 अवार्ड जारी दिनांक 01.01.2024 बाबत् आवेदन अन्तर्गत धारा 20 (च) (6) रेलवे अधिनियम, 1989 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी की मूल पत्रावली मय आदेशिका की प्रति के लौटाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **-S/d-** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 21.10.2024	